



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 625]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 13, 2017/आषाढ़ 22, 1939

No. 625]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 13, 2017/ASADHA 22, 1939

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2017

सा.का.नि. 877(अ).—केंद्रीय सरकार ने खान और खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 11क के अधीन कंपनी के चयन के लिए नीलामी द्वारा प्रतिस्पर्द्धी बोली की शर्तों एवं निबंधनों और उससे संबद्ध मामलों का उल्लेख करने हेतु समय-समय पर यथासंशोधित, खान और खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 की उप धारा (2) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 2 फरवरी, 2012 को नीलामी द्वारा कोयला खानों की प्रतिस्पर्द्धी बोली नियम, 2012, अधिसूचित किया था;

और, खान और खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 11क और धारा 13 की उप-धारा (2) के खण्ड (घ) को कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 (2015 का 11) के भाग ख की अनुसूची 4 द्वारा संशोधित किया गया है जिससे नीलामी द्वारा कोयला खानों की प्रतिस्पर्द्धी बोली नियम, 2012 का संशोधन करना आवश्यक हो गया है;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 की उप धारा (1) और धारा 13 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

अध्याय 1 : संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कोयला ब्लॉक आबंटन नियम, 2017 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :- इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(क) “अधिनियम” से खान और खनिज (विकास और विनियमन), 1957 (1957 का 67) अभिप्रेत है;

- (ख) किसी व्यक्ति के संबंध में “संबद्ध” से कोई अन्य व्यक्ति जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निम्नलिखित करता है, अभिप्रेत है, - अर्थात्
- (i) ऐसे व्यक्ति को नियंत्रित करता है; या
- (ii) ऐसे व्यक्ति द्वारा नियंत्रित होता है; या
- (iii) उसी व्यक्ति द्वारा नियंत्रित होता है जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः ऐसे व्यक्ति को नियंत्रित करता है; या
- (iv) ऐसे व्यक्ति की एक सहयुक्त कंपनी है;
- स्पष्टीकरण :—**इस खंड के प्रयोजन के लिए “सहयुक्त कंपनी” का वही अर्थ होगा जो इसका कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 उपधारा (6) में है;
- (ग) “आबंटन” से साथ में निर्दिष्ट आबंटन और नीलामी अभिप्रेत है;
- (घ) “आबंटन” से अधिनियम की धारा 11क के खण्ड (क) और (ख) के परन्तुक में निर्दिष्ट कोयला ब्लकों का आबंटन अभिप्रेत है;
- (ङ.) “आबंटन आदेश” से नियम 8 के उप नियम (5) में निर्दिष्ट आबंटन आदेश अभिप्रेत है;
- (च) “आबंटन दस्तावेज” से नियम 6 के उप-नियम (1) में निर्दिष्ट दस्तावेज अभिप्रेत है;
- (छ) “नीलामी” से अधिनियम की धारा 11क की उप धारा (1) के अधीन कोयला ब्लकों की लोक नीलामी अभिप्रेत है;
- (ज) “बोली लगाने वाला” से कोई कंपनी या निगम अभिप्रेत है जो कोयला ब्लकों की नीलामी में भाग लेती है;
- (झ) “ब्लॉक डोजियर” से नियम 4 के उप नियम (1) में निर्दिष्ट ब्लॉक डोजियर अभिप्रेत है;
- (ञ) “अधिकतम कीमत” से केंद्रीय सरकार द्वारा किसी कोयला ब्लॉक के लिए नियत कीमत जिसे रिवर्स नीलामी द्वारा आबंटित किया जाना है; अभिप्रेत है
- (ट) “कोयला” में एंथ्रासिट, बिटुमेनी, लिग्नाइट पीट और कोयला और कोक के रूप में भी विक्रीत या विपणित किसी अन्य रूप में कार्बनमय पदार्थ सम्मिलित है;
- (ठ) “कोयला ब्लॉक” से ऐसा क्षेत्र कोयला धारक अभिप्रेत है जिसे नियम 3 के उप नियम (1) के खंड (क) के अनुसार पहचान किया गया है;
- (ड) कोयला लिकेज से ऐसी संविदा अभिप्रेत है, जिसे कोयला उत्पादक सरकारी कंपनी या निगम और उपभोक्ता के मध्य संबद्ध ईंधन आपूर्ति करार की शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार कोयला आपूर्ति के लिए मध्य किया गया है।
- (ढ) “नियंत्रण” अधिकांश निदेशकों को नियुक्त करने का अधिकार या प्रबंधन को नियंत्रित करने या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, व्यक्तिगत या संयुक्त रूप में, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः प्रयोक्तृण्य नीति विनिश्चय, जिसके अंतर्गत उनके शेयर धारण करने की वजह से या प्रबंधन के अधिकार या शेयरधारकों के करार या मत करने के करार या किसी अन्य रीति से, भी है;
- (ण) “न्यूनतम कीमत” से केंद्रीय सरकार द्वारा कोयला ब्लॉक के लिए नियत कीमत अभिप्रेत है जिसे अग्रिम नीलामी द्वारा आबंटित किया जाता है।
- (त) “अग्रिम नीलामी” से नीलामी की पद्धति अभिप्रेत है जहां बोली लगाने वालों को न्यूनतम कीमत से उच्चतर बोली, निविदा दस्तावेज में विनिर्दिष्ट ऐसी शर्तों के अध्यक्षीन, अनुक्रमशः उत्कथित करना अपेक्षित है;
- (थ) “समूह कंपनी” से ऐसी कंपनी जो अन्य कंपनी से संबद्ध है, अभिप्रेत है;
- (द) “अवसंरचना विशेष प्रयोजन यान” से अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा अभिहित नोडल अभिकरण द्वारा निगमित कोई अस्तित्व अभिप्रेत है और :-

- (i) अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना के सन्निर्माण के लिए अपेक्षित भूमि रखेगा और उक्त भूमि को पट्टे या अनुज्ञप्ति के अधीन विशेष प्रयोजन यान को प्रचालन करने को प्रदान करेगा;
- (ii) घरेलू आबद्ध कोयला ब्लाक आबंटन रखेगा और उक्त घरेलू आबद्ध कोयला ब्लाक के खनन, विकास और प्रचालन अधिकार विशेष प्रयोजन यान संचालन करने को प्रदान करेगा;
- (ध) “विशेष प्रयोजन यान प्रचालन” से अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा अभिहित नोडल अभिकरण द्वारा निगमित कोई अस्तित्व अभिप्रेत है और :-
- i) अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना के निष्पादन के लिए टैरिफ के लिए प्रतिस्पद्धी बोली के आधार पर किसी अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना के प्रापक को अंतरित किया जाएगा;
- ii) अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना के निष्पादन के लिए वितरण अनुज्ञप्ति धारकों के साथ विद्युत क्रय करार निष्पादित करेगा;
- iii) अवसंरचना विशेष प्रयोजन यान के नाम पर पट्टे के आधार पर अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना के सन्निर्माण के लिए अपेक्षित भूमि रखेगा और अवसंरचना विशेष प्रयोजन यान को आबंटित आबद्ध कोयला खनन का खनन विकास प्रचालन के रूप में कार्य करेगा,
- (न) “व्यक्ति” में कोई कंपनी या सगम या व्यष्टियों का निकाय सम्मिलित होगा, चाहे निगमित हो या नहीं;
- (प) “वरीय आबंटिती” से नियम 6 के उप-नियम (8) में यथा निर्देशित वरीय आबंटिती अभिप्रेत है;
- (फ) “वरीय बोली लगाने वाला” से नियम 5 के उप-नियम (6) में यथा निर्देशित बोली लगाने वाला अभिप्रेत है;
- (ब) “उल्टी नीलामी” से नीलामी को ऐसी पद्धति अभिप्रेत है जहां बोली लगाने वालों को न्यूनतम कीमत से निम्न बोली, निविदा दस्तावेज में विनिर्दिष्ट ऐसी शर्तों के अधधीन, अनुक्रमशः उत्कथित करना अपेक्षित होगा;
- (भ) “आरक्षित मूल्य” से आबंटन या उल्टी नीलामी द्वारा आबंटित कोयला ब्लाक के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कीमत से अभिप्रेत है;
- (म) “सफल आबंटिती” से उस सफल बोलीदाता तथा सफल आबंटिती से अभिप्रेत है जैसा कि साथ-साथ उल्लेख किया गया है;
- (य) “सफल आबंटी” से उस सफल आबंटी से अभिप्रेत है जैसा कि नियम 6 के उप नियम (9) में उल्लेख किया गया है।
- (य क) “सफल बोलीदाता” से उस सफल बोलीदाता से अभिप्रेत है जैसा कि नियम 5 के उप नियम (8) में उल्लेख किया गया है;
- (य ख) “निविदा दस्तावेज” से उस निविदा दस्तावेज से अभिप्रेत है जैसा कि नियम 5 के उप-नियम (1) में उल्लेख किया गया है।
- (य ग) “अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना” से उस विद्युत परियोजना से अभिप्रेत है जो अत्यधिक कुशल प्रौद्योगिकी पर आधारित होगी जिसकी स्थापित क्षमता 3960 मेगावाट (एमडब्ल्यू) अथवा उससे अधिक होगी अथवा ऐसी क्षमता जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए जिससे विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 की सं. 36) की धारा 63 के अधीन केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए बोली की पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से टैरिफ के निर्धारण के दिशा-निर्देशों के अधीन केंद्र सरकार की पहल के जरिए शुरू की गई टैरिफ आधारित प्रतिस्पद्धी बोली के माध्यम से एक से अधिक राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में खरीददारों द्वारा विद्युत की खरीद से संबद्ध हो, तथा
- (य घ) “उत्पादन स्टेशन” तथा “केप्टिव उत्पादन संयंत्र” की अभिव्यक्तियों का तात्पिय विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 की संख्या 36) में निर्दिष्ट किया गया होगा।
- (2) उन शब्दों और पदों का, जो इसमें प्रयुक्त है किन्तु परिभाषित नहीं है और अधिनियम में परिभाषित है वही अर्थ होगा जो इस अधिनियम में क्रमशः उनके हैं।

अध्याय – 2 नीलामी और आबंटन प्रक्रिया

3. आबंटन प्रक्रिया :- (1) केंद्रीय सरकार कोयला ब्लकों के आबंटन के संबंध में निम्नलिखित करेगी :-

- (क) मानक तकनीकी मानदण्डों के अनुसार आबंटन के लिए कोयला ब्लकों की पहचान करना;
- (ख) आबंटन की रीति का निम्नलिखित के माध्यम से विनिर्दिष्ट करना, -
- (i) नीलामी; या
- (ii) अधिनियम की धारा 11क के खण्ड (क) के परन्तुक के अधीन सरकारी कंपनी या निगम को आबंटन; या
- (iii) अधिनियम की धारा 11क के खण्ड (ख) के परन्तुक के अधीन कंपनी या निगम को आबंटन;
- (ग) कोयला ब्लकों के आबंटन के प्रयोजन को विनिर्दिष्ट करना, जिसके अंतर्गत निजी उपभोग या विक्रय के लिए, परन्तु इस तक सीमित न हो, भी है।

स्पष्टीकरण - निजी उपभोग के अंतर्गत कोयले का उपभोग में अन्त्य उपयोगों जैसे लोहा तथा इस्पात का उत्पादन; उत्पादन स्टेशन के माध्यम से विद्युत का उत्पादन; केप्टिव उत्पादन संयंत्र के माध्यम से विद्युत का उत्पादन; सीमेंट का उत्पादन; उर्वरकों का उत्पादन; कोयला गैसीकरण के माध्यम से सिन-गैस का उत्पादन; या अन्य कोई अन्त्य उपयोग जो केंद्रीय सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, भी है।

परन्तु निजी उपभोग के प्रयोजन के लिए कोयला ब्लक का आबंटन किए जाने की दशा में केंद्रीय सरकार इस उप-नियम के अधीन यथा विनिर्दिष्ट एक या एक से अधिक अन्त्य उपयोगों को मिला सकेगी।

- (घ) आबंटन या नीलामी संचालन करने के लिए व्यापक मानदंड विनिर्दिष्ट करना, जिसके अंतर्गत अग्रिम नीलामी या उल्टी नीलामी द्वारा संचालन भी है;
- (ङ.) नियम 4 में यथा विनिर्दिष्ट प्रत्येक कोयला ब्लक के लिए ब्लक डोजियर तैयार करना; और
- (च) कोई अन्य मामला, जिसे केंद्रीय सरकार इस अधिनियम या इन नियमों के अनुसार समीचीन समझे;
- (2) केंद्रीय सरकार के लिए एक या एक से अधिक समितियों का गठन कर सकेगी, जिसमें कोयला मंत्रालय, केंद्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों या विभागों के सदस्य होंगे तथा ऐसे विशेषज्ञ, जो केंद्रीय सरकार को सिफारिश करने के लिए नियम 3 के उप-नियम (1) के प्रयोजनों के लिए समीचीन है।
- (3) केंद्रीय सरकार नियम 3 के उप-नियम (1) के अनुसार प्रक्रिया शुरू करने के अनुसार नियम 5 के प्रावधानों के अनुसार नीलामी की प्रक्रिया या नियम 6 या नियम 7, जैसी भी स्थिति हो, के अनुसार आबंटन प्रक्रिया शुरू करेगी।

4. ब्लक डोजियर : (1) केंद्रीय सरकार, उसके पास उपलब्ध सूचना के आधार पर प्रत्येक कोयला ब्लक का ब्लक डोजियर लिखित रूप में तैयार करेगी जिसमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:-

- (क) भौगोलिक क्षेत्र, कोयला भंडार और अन्य भौगोलिक सूचना, जो उपलब्ध हो, सहित कोयला ब्लक का विवरण;
- (ख) किसी व्यक्ति द्वारा कोयला ब्लक के संदर्भ में पूर्वता संचालित की गई अवीक्षण संक्रिया, पूर्वक्षण संक्रिया या खनन संक्रिया, जो लागू हो, के ब्यौरे।

(2) केंद्र सरकार अतिरिक्त सूचना, यदि कोई है, के आधार पर ब्लक डोजियर अद्यतन कर सकेगी।

5. नीलामी : (1) नियम 3 के उप-नियम (1) के खंड (ख) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए कोयला ब्लकों के संबंध में केंद्रीय सरकार नीलामी प्रक्रिया के लिए एक दस्तावेज अर्थात् निविदा दस्तावेज तैयार करेगी।

(2) प्रत्येक निविदा दस्तावेज में ऐसी सूचना शामिल होगी जिसे केंद्रीय सरकार नीलामी के प्रयोजनार्थ समीचीन समझे, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :-

- (क) ब्लक डोजियर जिसमें कोयला ब्लक का विवरण हो;
- (ख) कोयला ब्लकों के आबंटन का प्रयोजन जो अपनी खपत या विक्री तक सीमित न हो;

- (ग) सार्वजनिक नीलामी से संबंधित नियम एवं शर्तों, जिसमें अग्रिम नीलामी के मामले में निम्नतम कीमत या रिवर्स नीलामी के मामले में अधिकतम कीमत, रिवर्स नीलामी के मामले में आरक्षित कीमत, पात्रता की शर्तें, नीलामी के संचालन की प्रक्रिया और अन्य संबंधित सूचनाएं, सम्मिलित है।
- (घ) प्रस्ताव के लिए अनुरोध;
- (ङ.) सफल बोली लगाने वाले के साथ संपन्न किए जाने वाले करारों के नमूने जैसा कि नियम 8 के उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट किया गया है।
- (3) भागीदारों को नीलामी प्रक्रिया में प्रत्येक कोयला ब्लॉक के लिए पांच लाख रूपए अप्रतिदाय शुल्क का भुगतान करना अपेक्षित होगा;
- (4) केंद्रीय सरकार कम से कम एक हिंदी और एक अंग्रेजी भाषा के राष्ट्रीय समाचारपत्र में नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना जारी करेगी और ऐसे सार्वजनिक सूचना में वह तरीका विनिर्दिष्ट होगा जिससे निविदा दस्तावेज प्राप्त किया जाएगा।
- (5) केंद्रीय सरकार नीलामी करते समय निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन करेगी, अर्थात :-
- (क) **इलैक्ट्रॉनिक नीलामी** – कोयला ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया इलैक्ट्रॉनिक नीलामी के माध्यम से अधिनियम, उनके नियमों, निविदा दस्तावेज और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों, यदि कोई हो, के अनुसार संचालित की जाएगी।
- (ख) **नीलामी प्रक्रिया** – (अ) नीलामी प्रक्रिया दो चरणों में होगी जिसमें –
- (i) तकनीकी बोली; और
- (ii) वित्तीय बोली समाविष्ट होगी।
- (आ) तकनीकी बोली अर्हता के प्रयोजन के लिए और वित्तीय बोली सफल बोली लगाने वाले के निर्धारण के प्रयोजनार्थ होगी।
- (इ) वित्तीय बोली को ऐसे उप-चरणों में विभाजित या संपूर्ण किया जाएगा जैसा केंद्रीय सरकार समीचीन समझे।
- (ग) **पात्रता** – केंद्रीय सरकार निविदा दस्तावेज में नीलामी में भाग लेने वाले भागीदारों हेतु लागू पात्रता शर्तों को विनिर्दिष्ट करेगी जिसमें निम्नलिखित को शामिल किया जा सकेगा है-
- (i) नीलामी में भागीदारों की तकनीकी और वित्तीय अर्हताएं;
- (ii) नीलामी प्रक्रिया के लिए विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन; और
- (iii) बैंक गारन्टी के रूप में बोली सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता।
- (घ) केंद्रीय सरकार बोलीदाताओं की तकनीकी और वित्तीय पात्रता के निर्धारण के प्रयोजनार्थ केंद्रीय सरकार को सिफारिशें करने के लिए एक समिति का गठन कर सकती है जिसमें कोयला मंत्रालय, केंद्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों या विभागों के सदस्य और विभिन्न क्षेत्रों के तकनीकी विशेषज्ञ, जिन्हें उचित समझा जाए, शामिल हो सकते हैं।
- (ङ.) यदि कोयला ब्लॉक अपनी स्वयं की खपत के प्रयोजनार्थ नीलामी हेतु निर्दिष्ट किया गया है, तो उस अन्त्य उपयोग परियोजना की क्षमता जिसके लिए एक बोलीदाता बोली दे रहा है, कोयला ब्लॉक की क्षमता के अनुपात में होगी जैसा कि निर्दिष्ट किया गया हो;
- (च) केंद्रीय सरकार अधिकतम संख्या में कोयला ब्लॉकों या कोयला भंडारों की मात्रा, या दोनों को विनिर्दिष्ट करे जिन्हें किसी कंपनी या निगम या उसकी सहायक कंपनी या समूह को आबंटित किया जा सकता है।
- (6) नीलामी प्रक्रिया के पूर्ण होने पर नीलामी के परिणाम के आधार पर अधिमानी बोलीदाता की घोषणा की जाएगी।

(7) संचालित की गई नीलामी की ऐसी जांच जिसे समीचीन समझा जाए, उसके बाद केंद्रीय सरकार कोयला ब्लाक के अधिमानी बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित कर सकती है या कोयला ब्लाक की नीलामी प्रक्रिया को रद्द कर सकती है।

(8) यदि कोयला ब्लाक अपनी खपत के प्रयोजनार्थ निर्दिष्ट हो जाता है और वह बोलीदाता जिसके पास कोयला लिंकेज है, सफल बोलीदाता बन जाता है, तब अन्त्य उपयोग संयंत्र के लिए ऐसे कोयला लिंकेज के अनुसरण में कोयला प्राप्त करने की पात्रता उस आधार पर किया जा सकता है जिसके आधार पर वह सफल बोलीदाता हुआ है, जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाए।

6. आबंटन:- नियम 3 के उप-नियम (1) के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (ii) के अधीन केंद्रीय सरकार ने उन कोयला ब्लाकों जिन्हें सरकारी कंपनी या निगम को आबंटन करने के लिए निर्दिष्ट किया है, के संबंध में केंद्रीय सरकार आबंटन प्रक्रिया हेतु एक दस्तावेज अर्थात् आबंटन दस्तावेज तैयार करेगी।

(2) प्रत्येक आबंटन दस्तावेज में ऐसी सूचना शामिल की जा सकती है जिसे केंद्रीय सरकार आबंटन के प्रयोजन से समीचीन समझे जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

(क) ब्लाक डोजियर जिसमें कोयला ब्लाक का विवरण शामिल हो;

(ख) कोयला ब्लाक के आबंटन का प्रयोजन जिसमें अपनी खपत या बिक्री शामिल हो परन्तु सीमित न हो;

(ग) आबंटन से संबद्ध शर्तें और निबंधन जिसमें आरक्षित मूल्य, पात्रता की शर्तें, आबंटन के लिए आवेदन करने की क्रियाविधि, आबंटन करने की प्रक्रिया और अन्य संबंधित सूचना शामिल हो;

परन्तु कोयला ब्लाक के मामले में जिसकी खनन योजना तैयार नहीं की गई है, केंद्रीय सरकार कोयला ब्लाक के आबंटन और ऐसी खान के लिए खनन योजना तैयार करने के बाद आरक्षित मूल्य निर्दिष्ट करे; और सफल आबंटन नियम 8 के उप-नियम (1) में यथानिर्दिष्ट करार के एक भाग के रूप में एक आश्वासन पत्र प्रस्तुत करेगा जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाए।

(घ) सफल आबंटन के साथ संपन्न किए जाने वाले प्रस्तावित करारों के नमूने जैसा कि नियम 8 के उप-नियम (1) में निर्दिष्ट किया गया है।

(3) केंद्रीय सरकार हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा के कम से कम एक-एक राष्ट्रीय समाचार पत्रों में आबंटन हेतु एक सार्वजनिक नोटिस जारी करेगी और उस सार्वजनिक नोटिस में वह पद्धति निर्दिष्ट की जाएगी जिससे आबंटन दस्तावेज प्राप्त किया जाएगा जिसके आधार पर आवेदक आबंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(4) आबंटन दस्तावेज में आबंटन हेतु मानक निर्दिष्ट होंगे और ऐसे मानकों में निम्नलिखित शामिल होंगे :-

(क) आवेदक द्वारा विगत में किए गए कोयला ब्लॉकों के विकास की प्रगति यदि कोई हो;

(ख) निवल सम्पत्ति और टर्न ओवर सहित आवेदक के वित्तीय ब्यौरे;

(ग) आवेदक की तकनीकी क्षमताएं और खनन हेतु उपयोग की जानेवाली प्रस्तावित प्रौद्योगिकी;

(घ) मांग-आपूर्ति का अंतराल;

(ङ.) राज्य की आवश्यकताओं का आकलन

(च) स्व-उपयोग हेतु कोयले की उपयोगिता के मामले में

(i) अन्त्य उपयोग सुविधा की तैयारी की स्थिति;

(ii) अन्त्य उपयोग सुविधा की संगत कोयला ब्लॉक से निकटता;

(iii) यदि कोयला ब्लॉक आबंटन का उद्देश्य उत्पादन स्टेशन में विद्युत पैदा करने हेतु कोयले की खपत के रूप में विनिर्दिष्ट है, आवेदक कंपनी के राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत उपलब्धता।

(छ) केंद्रीय सरकार कोयला ब्लॉकों की अधिकतम संख्या या कोयला भंडार की राशि अथवा दोनों निर्दिष्ट कर सकती है जिसे किसी कंपनी या निगम या इसकी सहायक कंपनी या संबंधित कंपनी को आबंटित किया जा सकता है।

(5) यदि कोयला ब्लॉक स्व-उपभोग के प्रयोजन हेतु निर्दिष्ट है और कोयला लिंकेज धारक आवेदक सफल आवंटिती है तब अन्त्य उपयोग संयंत्र के लिए कोयला लिंकेज जिसके आधार पर सफल आवंटिती घोषित है, के अनुसार कोयला प्राप्त करने की हकदारी ऐसे आधार पर जैसा केन्द्रीय सरकार निर्दिष्ट करे, कम हो जाएगी।

(6) केन्द्रीय सरकार एक समिति गठित करेगी जिसका अध्यक्ष कोयला मंत्रालय में संयुक्त सचिव, भारत सरकार के दर्जे से नीचे का नहीं होगा और अन्य सदस्य केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालय और विभागों तथा विभिन्न क्षेत्रों के ऐसे तकनीकी विशेषज्ञ होंगे जो प्राप्त आवेदनों पर विचार करने एवं आवंटन दस्तावेज में निर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर आवेदकों की पात्रता का आकलन करने हेतु उपयुक्त हों।

(7) समिति यदि उप-नियम (6) के प्रयोजन हेतु आवश्यक समझे, राज्य सरकार जहां कोयला ब्लॉक स्थित है, के प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर सकती है।

(8) प्राप्त आवेदनों पर विचार करने और आवंटन दस्तावेज में निर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर आवेदकों की पात्रता का आकलन करने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार को अपनी सिफारिश प्रस्तुत करेगी जिसमें आवेदकों में से चयनित वरीय आवंटिती का नाम और ऐसे चयन हेतु कारणों के ब्यौरे निर्दिष्ट होंगे।

(9) केन्द्रीय सरकार आवंटन की जांच, जैसी आवश्यकता हो, के पश्चात् कोयला ब्लॉक के लिए वरीय आवंटिती को सफल आवंटिती के रूप में घोषित कर सकेगी या कोयला ब्लॉक की आवंटन प्रक्रिया रद्द कर सकेगी।

(10) केन्द्रीय सरकार जनहित में और लिखित रूप में दर्ज करने हेतु निम्नलिखित को कोयला ब्लॉक आवंटन हेतु इस नियम के किसी भी उपबंध में छूट प्रदान कर सकती है:-

- (i) एक सरकारी कंपनी या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रबंधित और नियंत्रित निगम, या
- (ii) टैरिफ (अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट सहित) हेतु प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर दी जाने वाली लिंकड पावर प्रोजेक्ट में कोयले के उपयोगिता हेतु कोई सरकारी कंपनी या निगम

परन्तु टैरिफ (अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट सहित) हेतु प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर दी जाने वाली लिंकड पावर प्रोजेक्ट में कोयले के उपयोगिता हेतु कोई सरकारी कंपनी या निगम को कोयला ब्लॉक आवंटन के मामले में केन्द्रीय सरकार टैरिफ हेतु प्रतिस्पर्धी बोली लगाने से पूर्व सर्वप्रथम विद्युत मंत्रालय में भारत सरकार द्वारा संस्तुत सरकारी कंपनी या निगम को ऐसे ब्लॉक के लिए सैद्धांतिक आवंटन पत्र जारी करेगी और तत्पश्चात् विद्युत परियोजना सफलतापूर्वक प्रदान करने के उपरांत नियम 8 में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार अंतिम आवंटन आदेश जारी किया जाएगा।

7. विद्युत परियोजना के लिए टैरिफ के आधार पर प्रतिस्पर्धा आधारित बोली का आवंटन: नियम 5 अथवा 6 में निहित नियमों के बावजूद, केन्द्रीय सरकार अधिनियम के खंड 11क के उपबंध खंड (ख) के अनुसार नियम 3 के उप-नियम (1) के खंड (ख) के उप-खंड (III) अंतर्गत आवंटन हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी भी कोयला ब्लॉक को किसी कंपनी या निगम को आवंटित कर सकती है जिसे टैरिफ (अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट सहित) हेतु प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर विद्युत परियोजना प्रदान की गई हो या विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ऐसे निबंधन एवं शर्तों जैसा केन्द्रीय सरकार उपयुक्त समझती हो; ऐसे आवंटन हेतु संस्तुत की गई हो।

8. सफल बोलीदाता या सफल आवंटिती की घोषणा के पश्चात् प्रक्रिया:- (1) नियम 5 के उपबंधों के अनुसार घोषित बोलीदाता या नियम 6 के उपबंधों के अनुसार घोषित सफल आवंटिती या नियम 7 अर्थात् सफल आवंटिती केन्द्रीय सरकार के साथ समझौता करेगा जिसमें आवंटन हेतु निबंधन एवं शर्तें निर्दिष्ट होंगी और जिसे उप-नियम (7) के अनुसार समाप्त किया जाएगा।

(2) नियम 6 के अंतर्गत आवंटन के मामले में सफल आवंटिती के साथ समझौते में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शर्तों होंगी :-

- (i) सफल आवंटिती कोयले का उपयोग उसी विशिष्ट प्रयोजन हेतु करेगा जिसके लिए कोयला ब्लॉक का आवंटन किया गया है।

- (ii) यदि कोयला ब्लॉक का आवंटन स्व-उपयोग के लिए है, यदि आवंटी कोयला ब्लॉक से प्राप्त कोयले की धुलाई करता है जिसका उपयोग उस प्रयोजन हेतु नहीं किया गया है जिसके लिए कोयला ब्लॉक आवंटित किया गया है, को सफल आवंटी द्वारा ही कोयला नियंत्रक संगठन के पूर्व अनुमोदन से बेचा या निपटान किया जाएगा।
- (iii) यदि कोयला ब्लॉक का आवंटन कोयले के विक्रय हेतु है, तब कोयला ब्लॉक से उत्पादित कोयला भेदभाव रहित, उपयुक्त और पारदर्शी तंत्र के माध्यम से किया जाएगा।
- (iv) यदि कोयला ब्लॉक आवंटन का उद्देश्य उत्पादन स्टेशन के माध्यम से विद्युत उत्पादन में कोयला खपत के रूप में निर्दिष्ट किया गया है तो आवंटित द्वारा अपने विद्युत संयंत्र के लिए कोयले का उपयोग किया जाएगा जिसके लिए केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी विद्यमान नीति के अनुसार विद्युत क्रय समझौता पर हस्ताक्षर किए गए।
- (v) कोयले का उत्पादन अनुमोदित खनन योजना और खनन पट्टे की निबंधन एवं शर्तों के अनुसार होगा।
- (vi) आवंटित कंपनी करार और अनुमोदित खनन योजना में यथाविनिर्दिष्ट लक्ष्यों के अनुसार कोयला ब्लॉकों के विकास के लिए उत्तरदायी होंगे।
- (vii) सरकारी कंपनी या निगम के अलावा कोई भी कंपनी प्रत्यक्ष या अपनी सहायक कंपनी या संबद्ध कंपनी के माध्यम से सफल आवंटित में भुगतान किए गए शेयर पूंजी का छब्बीस प्रतिशत से अधिक राशि नहीं रखेगी।
- (viii) कोयला नियंत्रक या केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य एजेंसी को कोयले के वितरण एवं उपयोगिता के संबंध में आवंटित कंपनी यथा निर्दिष्ट आवधिक रिटर्न दाखिल करेगी:
- परंतु यदि नियम 6 के उप-नियम (10) के अंतर्गत आवंटन टैरिफ (अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट सहित) हेतु प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर दिए गए लिंकड पावर प्रोजेक्ट में कोयले की उपयोगिता हेतु किसी सरकारी कंपनी या निगम को किया जाता है, तो विद्युत मंत्रालय में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर विद्युत परियोजना दिए जाने के पश्चात् विशेष प्रयोजन वाहन प्रचालित करते हुए आवधिक रिटर्न दाखिल किए जाएंगे।
- (ix) यदि कोयला ब्लॉक का विकास किसी खान विकासकर्ता और प्रचालक द्वारा किया जाना है तो ऐसे खान विकासकर्ता एवं प्रचालक का चयन प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से होगी और सफल आवंटित खान विकासकर्ता एवं प्रचालक नियुक्त करने एवं ऐसी नियुक्ति हेतु निबंधन एवं शर्तों को अंतिम रूप देते ही केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार को सूचित करेगा।
- (x) सफल आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि खान विकासकर्ता और प्रचालक की नियुक्ति हेतु बोली मानदंड कोल इंडिया लिमिटेड की अधिसूचित दर से लिंक न हो।
- (xi) खान विकासकर्ता एवं प्रचालक सभी दस्तावेजों की रख-रखाव करेगा और ऐसे दस्तावेज निरीक्षण हेतु सफल आवंटी, राज्य सरकार एवं केंद्रीय सरकार को उपलब्ध कराएगा।

(3) नियम 7 के अंतर्गत आवंटन के मामले में सफल आवंटित के साथ समझौते में अन्य बातों के साथ-साथ नियम 8 के उप-नियम (2) के खंड (i), (ii), (v), (vi) और (viii) में निहित शर्तें शामिल होगी।

(4) सफल बोलीदाता से यह अपेक्षित होगा कि वह केंद्रीय सरकार के पक्ष में केंद्रीय सरकार द्वारा यथा निर्दिष्ट राशि एवं अवधि के लिए निष्पादन बैंक गारंटी प्रदान करेगा और ऐसी निष्पादन बैंक गारंटी में निम्नलिखित शामिल होगा अर्थात्

- (i) यह बिना शर्त एवं अपरिवर्तनीय होगा।
- (ii) यह कोयला खान विकास के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा यथा निर्दिष्ट निर्धारित लक्ष्यों से जुड़ा रहेगा; और
- (iii) निष्पादन बैंक गारंटी के पश्चात् भुगतान बिना किसी विलंबन, आपत्ति, केवियट, विरोध या पुनरावृत्ति के होगा।

परंतु यदि नियम 6 के उप-नियम (10) के अंतर्गत आवंटन टैरिफ (अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट सहित) हेतु प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर दिए गए लिंकड पावर प्रोजेक्ट में कोयले की उपयोगिता हेतु किसी सरकारी कंपनी या निगम को किया जाता है, तो विद्युत मंत्रालय में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर विद्युत परियोजना दिए जाने के पश्चात् सफल आवंटिती की ओर से विशेष प्रयोजन वाहन प्रचालित करते हुए निष्पादन बैंक गारंटी दी जाएगी।

(5) उप-नियम (1) तथा (2) में यथा विनिर्दिष्ट करार करने और उप-नियम (3) में यथा निर्दिष्ट निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के उपरांत सफल आवंटिती कोयला ब्लॉक जिसके सफल आवंटिती की घोषणा की गई थी, के संदर्भ में केंद्रीय सरकार से आवंटन आदेश प्राप्त करने का हकदार होगा।

(6) आवंटन आदेश जारी करना निश्चायक सबूत होगा कि सफल आवंटिती के चयन के मामले में अधिनियम के खंड 11 क की सभी अपेक्षाओं एवं नियमों का अनुपालन किया गया है और सफल आवंटिती अधिनियम के खंड 11 'क' के उप-खंड (3) के अनुसार राज्य सरकार से संबंधित कोयला ब्लॉक के मामले में पूर्वोक्त लाइसेंस या खनन पट्टा प्राप्त करने हेतु हकदार होंगे।

(7) इस नियम के उप-नियम (1) या (2) या (3) में यथा विनिर्दिष्ट करार की निबंधन एवं शर्तों को कोयला ब्लॉकों के लिए खनन पट्टे की निबंधन एवं शर्तों में शामिल करने के साथ-साथ केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की अन्य निबंधन एवं शर्तें शामिल होंगी जो खनिज रियायत नियम के अंतर्गत उपयुक्त है और खनन पट्टा प्रदान करने के उपरांत इस नियम के उप-नियम (1) तथा (2) अथवा (3) में यथा निर्दिष्ट करार समाप्त हो जाएगा।

(8) खनन पट्टा प्रदान करने के उपरांत संबंधित राज्य सरकार खनन योजना के अनुसार कोयला उत्पादन सुनिश्चित करने हेतु सफल आवंटिती से अपने पक्ष में निष्पादन बैंक गारंटी मांग सकती है।

परंतु यदि नियम 6 के उप-नियम (10) के अंतर्गत आवंटन टैरिफ (अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट सहित) हेतु प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर दिए गए लिंकड पावर प्रोजेक्ट में कोयले की उपयोगिता हेतु किसी सरकारी कंपनी या निगम को किया जाता है, तो विद्युत मंत्रालय में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर विद्युत परियोजना दिए जाने के पश्चात् सफल आवंटिती की ओर से विशेष प्रयोजन वाहन प्रचालित करते हुए निष्पादन बैंक गारंटी दी जाएगी।

(9) उप-नियम (4) के अंतर्गत प्रस्तुत निष्पादन बैंक गारंटी उप-नियम (8) के अंतर्गत निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करने या उप-नियम (1) तथा (2) में यथा निर्दिष्ट करार समाप्ति के 60 दिन पश्चात्, जो भी पहले हो, सफल आवंटिती को वापस कर दी जाएगी।

(10) केंद्रीय सरकार द्वारा आवंटन आदेश अन्य बातों के साथ निम्नलिखित परिस्थितियों में निरस्त किए जा सकते हैं, अर्थात्:-

- (क) उप-नियम (1) तथा (2) के उपबंधों के अंतर्गत किए गए करार की शर्तों का उल्लंघन;
- (ख) सफल आवंटिती द्वारा तथ्यों की मिथ्या प्रस्तुति
- (ग) अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए अधिनियम के उपबंधों एवं नियमों का उल्लंघन
- (घ) खनन पट्टा निरस्त करने की स्थिति
- (ङ) खनन पट्टे के निबंधन एवं शर्तों के उल्लंघन के मामले में संबंधित राज्य सरकार की सिफारिश पर; या
- (च) केंद्रीय सरकार के विचार में ऐसे कारण जिन्हें लिखित रूप से दर्ज किया जाना हो; जनहित में आवंटन निरस्त करना आवश्यक हो।

(9) पुनः नीलामी और पुनः आवंटन .- नियम 5, नियम 6 या नियम 7 के अनुसरण में नीलामी प्रक्रिया या आवंटन प्रक्रिया निरस्त होने, जैसी भी स्थिति हो, किसी भी कारणवश केन्द्रीय सरकार के पास कोयला ब्लॉकों की नीलामी या आवंटन की नई प्रक्रिया या नियम 3 में यथा निर्दिष्ट समूची आवंटन प्रक्रिया पुनः शुरु करने की शक्ति होगी।

अध्याय III: विविध

10. कोयला ब्लॉकों के अधिकतम उपयोग के लिए व्यवस्थाएं.- (1) स्वयं के उपयोग के प्रयोजन हेतु कोयला ब्लॉक आवंटन के मामले में, सफल आवंटिती या कोयला लिंकेज धारक केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से लागत प्रभाविता हासिल करने हेतु जनहित में उसी प्रयोजन हेतु कोयला ब्लॉक के अधिकतम उपयोग हेतु अन्य सफल आवंटिती अथवा कोयला लिंकेज धारक, जैसा भी मामला हो, कतिपय करार या व्यवस्था करने हेतु पात्र होंगे।

(2) उप-नियम (1) में संदर्भित किसी भी करार या प्रबंधन के लिए प्रस्ताव करते समय सफल आवंटिती या कोयला लिंकेजधारी लिखित रूप में केंद्रीय सरकार के पास आवेदन करेगा।

(3) उप-नियम (2) में संदर्भित आवेदन में निम्नलिखित के संपूर्ण विवरण शामिल होंगे, नामतः:

(क) प्रस्तावित करारों एवं व्यवस्थाओं के पक्षकार

(ख) प्रस्तावित करार या व्यवस्थाएं

(ग) वह रीति जिसके माध्यम से ऐसी करार या व्यवस्थाएं कोयला ब्लॉकों का अधिकतम उपयोग और लागत प्रभाविता हासिल करेगी; और

(घ) पक्षकारों के कोयला लिंकेजों के ब्यौरे, यदि कोई हो।

(4) आवेदन से पूर्व, पक्षकार यह सुनिश्चित करेंगे कि करार या व्यवस्था के लिए सभी पक्षकार कोयला ब्लॉक के आवंटन या कोयला लिंकेज प्राप्त करने जो भी मामला हो, हेतु पात्र है, जोकि ऐसी करार एवं व्यवस्था का विषय वस्तु है।

(5) केंद्रीय सरकार प्रस्तावित करार या व्यवस्थाओं के संबंध में ऐसी अतिरिक्त सूचना मांग सकेगी जो वह उचित समझे।

(6) केंद्रीय सरकार ऐसी जांच के पश्चात् जो उसकी राय में आवश्यक हो, लिखित आदेश द्वारा प्रस्तावित करार या व्यवस्था को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अनुमोदित या अस्वीकार कर सकेगी।

(7) केंद्रीय सरकार अनुमोदन प्रदान करते समय ऐसी शर्तें लागू कर सकती है जो ऐसे करारों एवं व्यवस्थाओं के लिए पक्षकारों पर बाध्यकारी होगी।

(8) ऐसी करारों एवं व्यवस्थाओं का निष्पादन हो जाने पर कोयला ब्लॉकों में खनन प्रचालन करने वाले या कोयला लिंकेज के तहत कोयला प्राप्त करने वाले पक्षकार ऐसे कोयला ब्लॉक या कोयला लिंकेज के संबंध में देयताएं वहन करेंगे।

(9) ऐसी करारों या व्यवस्थाओं का निष्पादन हो जाने पर ऐसे निष्पादन के 15 कारोवारी दिवसों के भीतर उनकी प्रमाणित प्रति केंद्रीय सरकार द्वारा यथानिर्दिष्ट केंद्रीय सरकार या ऐसी अन्य एजेंसी या विभाग के पास जमा की जाएगी।

(10) टैरिफ हेतु प्रतिस्पर्धी (अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना) के आधार पर दिए गए लिंकड विद्युत परियोजना में कोयले की उपयोगिता और नियम 7 के अंतर्गत आवंटित कोयला ब्लॉकों हेतु इसका कोई भी नियम, नियम 6 के उप-नियम (10) के अंतर्गत आवंटित कोयला ब्लॉक पर लागू नहीं होगा।

(11) सफल आवंटिती के अन्य संयंत्र के लिए कोयले का उपयोग.- यदि कोयला ब्लॉक का आवंटन स्वयं के उपयोग के लिए हो तो सफल आवंटिती किसी विशेष कोयला ब्लॉक खनित कोयले का उपयोग केंद्रीय सरकार को लिखित रूप में पूर्व सूचना देते हुए किसी अन्य संयंत्र या संयंत्र के किसी सहायक कंपनी या धारक कंपनी में उसी प्रयोजन हेतु कर सकता है।

परंतु आवंटन के मामले में, सफल आवंटिती स्वयं के उपयोग हेतु आवंटित कोयला ब्लॉक से कोयले का उपयोग अपने संयुक्त उद्यम कंपनी के संयंत्रों या अन्य सरकारी कंपनियों के निगमों या निगम जहां सफल आवंटिती कंपनी का संयुक्त उद्यम कंपनी या निगम में सर्वाधिक शेयर होल्डिंग हो, में कर सकता है।

(2) उप-नियम (1) में संदर्भित सूचना ऐसी उपयोगिता की संभावित तिथि से कम से कम तीस कारोवारी दिवस पूर्व दी जाएगी।

(3) केंद्रीय सरकार ऐसे उपयोग के संबंध में ऐसी सूचना मांग सकेगी जो वह उचित समझे और ऐसी शर्त तथा निबंधन अधिरोपित कर सकेगी जो वह आवश्यक समझे।

(4) टैरिफ हेतु प्रतिस्पर्धी (अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना) के आधार पर दिए गए लिंकड विद्युत परियोजना में कोयले की उपयोगिता तथा नियम 7 के अंतर्गत आवंटित कोयला ब्लॉकों हेतु इसका कोई भी नियम, नियम 6 के उप-नियम (10) के अंतर्गत आवंटित कोयला ब्लॉक पर लागू नहीं होगा।

12. नीलामी या आवंटन की कार्यवाही- (1) नीलामी या आवंटन, जैसा भी मामला हो, की कार्यवाही सफल आवंटिती द्वारा केंद्रीय सरकार को सूचित करते हुए राज्य सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट तरीके से संबंधित राज्य सरकार जहां कोयला ब्लॉक स्थित है के पास किया जाएगा।

(2) नीलामी या आवंटन की कार्यवाही के घटक केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजन हेतु यह स्पष्ट किया जाता है कि नीलामी या आवंटन की प्रक्रिया में केंद्रीय सरकार लागू रॉयल्टी, लेवी, उपकर, कर, शुल्क अथवा प्रभार शामिल नहीं है।

13. प्रत्येक दस्तावेज के साथ शपथ पत्र.- यदि कोई व्यक्ति अधिनियम या इन नियमों के अधीन केंद्रीय सरकार या किसी प्राधिकरण को दस्तावेज जमा या प्रस्तुत करता है तो ऐसे दस्तावेज के साथ इसके औचित्य के संबंध में शपथ पत्र संलग्न किए जाएंगे और यदि बाद में यह पाया जाता है कि ऐसा दस्तावेज फर्जी या गलत है तो उसके विरुद्ध उस समय लागू कानून के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

14. केंद्रीय सरकार सहायता ले सकती है.- केंद्रीय सरकार इन नियमों के अधीन अपने कार्य का निर्वहन करने हेतु किसी भी विभाग, प्राधिकरण एजेंसी, तकनीकी विशेषज्ञ या निगम से सहायता ले सकती है और समिति का गठन भी कर सकती है।

15. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई की संरक्षा.- इन नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक या विश्वासपूर्वक मंशा से किए गए कार्य के मामले में केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या उनकी ओर से कार्यरत किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

16. कुछ कोयला खानों पर नियम लागू नहीं.- कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 (2015 की सं.11) की अनुसूची I में सूचीबद्ध कोयला खानों पर ये नियम लागू नहीं होंगे।

17. निरसन और व्यावृत्ति - (1) कोयला खान नियम, 2012 की प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा नीलामी एतद्वारा निरसित की जाती है।

(2) उक्त निरसन के होते हुए भी कोयला खान नियम, 2012 की प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा नीलामी के अंतर्गत किया गया या की गई किसी भी कार्रवाई को या इन नियमों के तदनुसूची प्रावधानों के अंतर्गत किया गया समझा जाएगा तथा कोयला खान नियम, 2012 की प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा उक्त नीलामी के अंतर्गत आवंटन प्रक्रिया जारी रहेगी और कोयला ब्लॉक के अंतिम आवंटन के पश्चात् इन नियमों के तदनुसूची प्रावधान के अंतर्गत शेष प्रक्रिया एवं शर्तें लागू रहेगी।

[फा. सं. 11022/01/2015-सीए-III]

विवेक भारद्वाज, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 2017

G.S.R. 877(E).—WHEREAS, the Central Government had notified the Auction by Competitive Bidding of Coal Mines Rules, 2012 on 2nd February, 2012 in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (2) of section 13 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957), as amended from time to time, for specifying the terms and conditions of auction by competitive bidding for selection of the company under section 11A of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957) and related matters thereto;

AND WHEREAS, section 11A and clause (d) of sub-section (2) of section 13 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957) has been amended by the Part B of Schedule IV of the Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015 (No. 11 of 2015) which necessitated amendments in the Auction by Competitive Bidding of Coal Mines Rules, 2012;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 and clause (d) of sub-section (2) of section 13 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957) Central Government hereby makes the following rules, namely:—

CHAPTER I : SHORT TITLE AND COMMENCEMENT

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Coal Blocks Allocation Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) “Act” means the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957);

(b) “affiliate” with respect to any person shall mean any other person which, directly or indirectly;—

(i) controls such person; or

(ii) is controlled by such person; or

(iii) is controlled by the same person who, directly or indirectly, controls such person; or

(iv) is an associate company of such person;

Explanation.—for the purpose of this clause, “associate company” shall have the same meaning assigned to it in sub-section (6) of section 2 of the Companies Act, 2013 (No. 18 of 2013);

(c) “allocation” means allotment and auction referred together;

(d) “allotment” means allotment of coal blocks referred to in clause (a) and (b) of the proviso to section 11A of the Act;

(e) “allocation order” means the allocation order referred to in sub-rule (5) of rule 8;

(f) “allotment document” means the document referred to in sub-rule (1) of rule 6;

(g) “auction” means public auction of coal blocks under sub-section (1) of section 11A of the Act;

(h) “bidder” means a company or corporation which participate in auction of coal blocks;

(i) “block dossier” means the block dossier as referred to in sub-rule (1) of rule 4;

(j) “ceiling price” means the price fixed by the Central Government for a coal block which is to be allocated by way of reverse auction;

(k) “coal” includes anthracite, bituminous, lignite, peat, coking coal, coke and any other form of carbonaceous matter sold or marketed as coal;

(l) “coal block” means an area containing coal which has been identified in accordance with clause (a) of sub-rule (1) of rule 3;

(m) “coal linkage” means a contract entered between coal producing Government company or corporation and consumer for supply of coal in accordance with the terms and conditions of the relevant fuel supply agreement;

(n) “control” shall include the right to appoint majority of the directors or to control the management or policy decisions exercisable by a person or persons acting individually or in concert, directly or indirectly, including by virtue of their shareholding or management rights or shareholders agreements or voting agreements or in any other manner;

(o) “floor price” means the price fixed by the Central Government for a coal block which is to be allocated by way of forward auction;

(p) “forward auction” means the method of auction where the bidders shall be required to successively quote the bid higher than the floor price, subject to such conditions as may be specified in the tender document;

- (q) “group company” means a company which is an affiliate of another company;
- (r) “infrastructure special purpose vehicle” means an entity incorporated by the nodal agency designated by the Central Government for the purposes of Ultra Mega Power Projects and shall –
- (i) hold the land required for the construction of the Ultra Mega Power Project and grant the said land under lease or licence to the operating special purpose vehicle;
- (ii) hold the allocation of the domestic captive coal block and grant the mining, development and operation rights of the said domestic captive coal block to the operating special purpose vehicle.
- (s) “operating special purpose vehicle” means an entity incorporated by the nodal agency designated by the Central Government for the purpose of an Ultra Mega Power Project and shall –
- (i) be transferred to the awardee of an Ultra Mega Power Project on the basis of competitive bids for tariff for the execution of the Ultra Mega Power Projects;
- (ii) execute the power purchase agreement with the distribution licensees for execution of the Ultra Mega Power Project;
- (iii) hold the land required for the construction of the Ultra Mega Power Project on lease basis acquired in the name of infrastructure special purpose vehicle; act as a mine development operator of the captive coal mine allocated to the infrastructure special purpose vehicle.
- (t) “person” shall include any company or association or body of individuals, whether incorporated or not;
- (u) “preferred allottee” means the preferred allottee as referred to in sub-rule (8) of rule 6;
- (v) “preferred bidder” means the preferred bidder as referred to in sub-rule (6) of rule 5;
- (w) “reverse auction” means the method of auction where the bidders shall be required to successively quote the bid lower than the ceiling price, subject to such conditions as may be specified in the tender document;
- (x) “reserve price” means the price fixed by the Central Government for a coal block allocated by way of allotment or by way of reverse auction;
- (y) “successful allocatee” means successful bidder and successful allottee referred together;
- (z) “successful allottee” means the successful allottee as referred to in sub-rule (9) of rule 6;
- (za) “successful bidder” means the successful bidder as referred to in sub-rule (8) of rule 5;
- (zb) “tender document” means the tender document as referred to in sub-rule (1) of rule 5;
- (zc) “Ultra Mega Power Project” shall mean a power project based on supercritical coal thermal technology or more efficient technology, with installed capacity of 3960 Mega Watt (MW) or above or such other capacity as may be stipulated by the Central Government, from which power procurement is tied up by procurers in more than one State or Union Territory, through tariff based competitive bidding initiated through a Central Government initiative under the Guidelines for Determination of Tariff Through Transparent Process of Bidding for Procurement of Power from Ultra Mega Power Projects notified by Central Government under section 63 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003); and
- (zd) the expressions “generating station” and “captive generating plant” shall have the meanings assigned to them in the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003).
- (2) Words and expressions used herein but not defined and defined in the Act shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.

CHAPTER II: AUCTION AND ALLOTMENT PROCESS

3. Allocation process.— (1) In connection with the allocation of coal blocks the Central Government shall –

- (a) identify the coal blocks for allocation as per the standard technical parameters;
- (b) specify the manner of allocation through –
 - (i) auction; or
 - (ii) allotment to Government Company or corporation under clause (a) of the proviso to section 11A of the Act; or
 - (iii) allotment to a company or corporation under clause (b) of the proviso to section 11A of the Act;
- (c) specify purpose of allocation of the coal blocks including, but not limited to, own consumption or for sale;

Explanation.— Own consumption may include consumption of coal in the end uses such as production of iron and steel; generation of electricity through generating station; generation of electricity through captive generating plant; production of cement; production of fertilizers; production of syn-gas through coal gasification; or any other end use as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify:

Provided that in case the coal block is to be allocated for the purpose of own consumption, the Central Government may combine one or more end uses as specified under this sub-rule.

- (d) specify broad parameters for conducting allotment or auction including by way of forward auction or reverse auction;
- (e) prepare block dossier for each coal block as specified in rule 4; and
- (f) any other matter that the Central Government may deem expedient in accordance with the Act or these rules.

(2) The Central Government may constitute one or more committees consisting of members from the Ministry of Coal, other ministries or departments in the Government of India and such experts as may be deemed expedient for making recommendations to the Central Government for the purposes of sub-rule (1) of rule 3.

(3) Pursuant to the process undertaken in accordance with sub-rule (1) of rule 3, the Central Government shall conduct the auction process in accordance with the provisions of rule 5 or the allotment process in accordance with rule 6 or rule 7, as the case may be.

4. Block Dossier.— (1) The Central Government shall prepare a written dossier that is, the block dossier for each coal block, based on the information available with the Central Government, which may include,—

- (a) particulars of the coal block, including the geographical area, coal reserves and other geological information, as available;
 - (b) particulars of reconnaissance operations, prospecting operations or mining operations, as may be applicable, conducted earlier by any person in reference to the coal block.
- (2) The Central Government may update the block dossier based on additional information, if any.

5. Auction.— (1) In respect of coal blocks, for which the Central Government has specified auction under clause (b) of sub-rule (1) of rule 3, the Central Government shall prepare a document for the auction process, that is, the tender document.

(2) Each tender document may include such information as the Central Government may consider expedient for the purposes of auction including,—

- (a) the block dossier containing particulars of the coal block;

- (b) purpose of allocation of the coal blocks including, but not limited to, own consumption or for sale;
 - (c) the terms and conditions associated with the public auction, including the floor price in case of forward auction or the ceiling price in case of reverse auction, reserve price in case of reverse auction, eligibility conditions, the process of conduct of auction and other related information;
 - (d) the request for proposal;
 - (e) specimen of agreements proposed to be entered into with the successful bidder as specified in sub-rule (1) of rule 8.
- (3) The participants in the auction process shall be required to make payment of non-refundable fee of five lakh rupees for each coal block.
- (4) The Central Government shall issue a public notice for the auction in at least one Hindi and one English language national newspaper and such public notice shall specify the manner in which the tender document shall be obtained.
- (5) The Central Government shall comply with the following procedure while conducting auction, namely:—
- (a) **Electronic auction.**— The process of auction of coal blocks shall be conducted through electronic auction, in accordance with the Act, these rules, the tender document and orders issued by the Central Government, if any.
 - (b) **Auction process.**— (A) The auction process shall be a two stage process comprising of—
 - (i) technical bid; and
 - (ii) financial bid.(B) The technical bid shall be for the purpose of qualification and the financial bid shall be for the purpose of determination of the successful bidder.
(C) The financial bid may be divided into such sub-stages or rounds as may be deemed expedient by the Central Government.
 - (c) **Eligibility.**— The Central Government shall specify the applicable eligibility conditions for participation in auction in the tender document and the same may include,—
 - (i) technical and financial qualifications of the participants in the auction;
 - (ii) compliance with the procedure specified for the auction process; and
 - (iii) requirement to provide bid security in the form of bank guarantee.
 - (d) The Central Government may constitute a committee consisting of members from the Ministry of Coal, other ministries or departments of Central Government and such technical experts from various fields as may be deemed expedient for making recommendations to the Central Government for the purposes of determining technical and financial eligibility of the bidders.
 - (e) In case the coal block is specified for auction for the purpose of own consumption, then the capacity of the end use project for which a bidder is bidding shall be in such proportion to the capacity of coal block as may be specified.
 - (f) The Central Government may also specify the maximum number of coal blocks or amount of coal reserves or both that may be allocated to a company or corporation or its subsidiary or parent company or associate companies or group companies or its affiliate.
- (6) Upon completion of the auction process, the preferred bidder shall be declared on the basis of the result of auction.
- (7) The Central Government may, after such scrutiny of the auction conducted as may be deemed expedient, declare the preferred bidder to be the successful bidder for the coal block or may cancel the auction process of the coal block.

(8) In case the coal block is specified for the purpose of own consumption and a bidder having a coal linkage becomes the successful bidder, then the entitlement to receive coal pursuant to such coal linkage for the end use plant on the basis of which it became a successful bidder may be reduced on such basis as may be specified by the Central Government.

6. Allotment.— (1) In respect of coal blocks, for which the Central Government has specified allotment to Government company or corporation under sub-clause (ii) of clause (b) of sub-rule (1) of rule 3, the Central Government shall prepare a document for the allotment process, that is, the allotment document.

(2) Each allotment document may include such information as the Central Government may consider expedient for the purposes of allotment including,—

- (a) the block dossier containing particulars of the coal block;
- (b) purpose of allotment of the coal blocks including, but not limited to, own consumption or for sale;
- (c) the terms and conditions associated with the allotment, including the reserve price, eligibility conditions, procedure for making application for allotment, the process of conduct of allotment and other related information:

Provided that in case coal block whose mining plan has not been prepared, the Central Government may specify the reserve price after the allotment of coal block and preparation of mining plan for such mine; and the successful allottee shall furnish an undertaking as a part of the agreement, as specified in sub-rule (1) of rule 8, to pay the reserve price within the specified time, as may be specified by the Central Government.

- (d) specimen of agreements proposed to be entered into with the successful allottee as specified in sub-rule (1) of rule 8.

(3) The Central Government shall issue a public notice for the allotment in at least one Hindi and one English language national newspaper and such public notice shall specify the manner in which the allotment document shall be obtained on the basis of which an applicant will submit the application for allotment.

(4) The allotment document shall specify the norms for allotment and such norms may include the following, namely:—

- (a) progress of development of coal blocks by the applicant in the past, if any;
- (b) financial details of the applicant, including the net-worth and turnover;
- (c) technical capabilities of the applicant and the technology proposed to be used for mining;
- (d) demand-supply gap;
- (e) assessment of requirements of the State;
- (f) in case of utilisation of the coal for own consumption,—
 - (i) state of preparedness of the end use facility;
 - (ii) proximity of the end use facility to the relevant coal block;
 - (iii) in case the purpose of allotment of coal block is specified as consumption of coal in generation of electricity through generating station, the per-capita power availability in the State of the applicant company.
- (g) The Central Government may also specify the maximum number of coal blocks or amount of coal reserves or both that may be allocated to a company or corporation or its subsidiary or associate companies.

(5) In case the coal block is specified for the purpose of own consumption and an applicant having a coal linkage becomes the successful allottee, then the entitlement to receive coal pursuant to such coal linkage for the end use plant on the basis of which it became a successful allottee may be reduced on such basis as may be specified by the Central Government.

(6) The Central Government shall constitute a committee consisting of an officer not below the rank of Joint Secretary to the Government of India in the Ministry of Coal as chairperson, such other members from various Ministries and departments of the Central Government and such technical experts from various fields as it may deem fit for considering the applications received and assessing the eligibility of the applicants based on the criteria specified in the allotment document.

(7) The Committee may, if considered necessary for the purpose of sub-rule (6), invite representative of the State Government where the coal block is located;

(8) The Committee after considering the applications received and assessing the eligibility of the applicants based on the criteria specified in the allotment document shall submit its recommendation to the Central Government specifying the name of preferred allottee selected by it from amongst the applicants alongwith the reasons for such selection.

(9) The Central Government may, after such scrutiny of the allotment conducted, as may be deemed expedient, declare the preferred allottee to be the successful allottee for the coal block or may cancel the allotment process of the coal block.

(10) The Central Government may in public interest and for the reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of this rule for the allotment of a coal block to:

- (i) a Government company or corporation owned, managed or controlled by the Central Government, or
- (ii) a Government company or corporation for utilisation of coal in the linked power project to be awarded on the basis of competitive bid for tariff (including Ultra Mega Power Project):

Provided that in case of allotment of a coal block to a Government company or corporation for utilisation of coal in the linked power project to be awarded on the basis of competitive bid for tariff (including Ultra Mega Power Project), the Central Government shall first issue an in-principle allotment letter for such coal block to such Government company or corporation recommended by the Government of India in the Ministry of Power before the competitive bidding for tariff and thereafter on successful award of power project, the final allotment order shall be issued in accordance with the process specified in the rule 8.

7. Allotment on the basis of tariff based competitive bidding for power projects.—(1) Notwithstanding anything contained in rules 5 or 6, the Central Government may in accordance with the clause (b) of the proviso to section 11A of the Act, allot any coal block which has been specified by the Central Government for allotment under sub-clause (iii) of clause (b) of sub-rule (1) of rule 3, to any company or corporation that has been awarded a power project on the basis of competitive bids for tariff (including Ultra Mega Power Projects) and recommended for such allotment by the Government of India in the Ministry of Power, on such terms and conditions as the Central Government may deem expedient.

8. Procedure after declaration of successful bidder or successful allottee.—(1) The successful bidder declared in accordance with the provisions of rule 5 or the successful allottee declared in accordance with the provision of rule 6 or rule 7, that is, the successful allocatee shall enter into an agreement with the Central Government wherein the terms and conditions of the allocation shall be specified and which shall be terminated in accordance with sub-rule (7).

(2) In case of allotment under rule 6, the agreement with successful allottee shall contain *inter-alia*, following conditions, namely:—

- (i) The successful allottee shall utilise the coal for the specified purpose only for which the coal block has been allocated.
- (ii) In case the coal block is allotted for the purpose of own consumption, if the allottee washes coal obtained from the coal block, then the middlings, rejects, tailings, jhama or any other type of coal obtained on washing, which cannot be utilised for the purpose for which the coal block has been allocated, shall be sold or disposed of by the successful allottee only with the prior approval of the Coal Controller's Organisation.
- (iii) In case coal block is allotted for purpose of sale of coal, then the coal produced from the coal block shall be sold or distributed through a non-discriminatory, reasonable and transparent mechanism.

- (iv) In case the purpose of allotment of coal block is specified as consumption of coal in generation of electricity through generating station, the allottee shall utilise coal for the power plants owned by it for which power purchase agreement had been signed as per the prevailing policy issued by the Central Government from time to time.
- (v) The production of coal shall be as per the approved mining plan and the terms and conditions of the mining lease.
- (vi) The allocatee Company shall be responsible for development of coal block as per the milestones as specified in the agreement and approved mining plan.
- (vii) No company other than a Government company or corporation shall hold more than twenty-six per cent of the paid-up share capital in the successful allottee either directly or through any of its subsidiary company or associate company.
- (viii) The allocatee company shall file such periodical return, as may be specified, regarding distribution and utilisation of coal to the Coal Controller and any other agency authorized by the Central Government or the State Government:

Provided that in case the allotment is made under sub-rule (10) of rule 6 to a Government company or corporation for utilisation of coal in the linked power project awarded on the basis of competitive bid for tariff (including Ultra Mega Power Project), periodical return shall be filed by the operating special purpose vehicle after award of power project on the basis of competitive bidding in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Power.

- (ix) In case the coal block is to be developed through a mine developer and operator, the selection of such mine developer and operator shall be through a competitive bidding process and the successful allocatee shall inform the Central Government and the State Government about the engagement of the mine developer and operator and the terms and conditions of such engagement, as soon as it is finalised.
 - (x) The successful allottee shall ensure that the criteria of bidding for engagement of mine developer and operator is not linked to the notified price of the Coal India Limited.
 - (xi) The mine developer and operator shall maintain all records required to be maintained and shall make available such records for inspection to the successful allottee, the State Government and the Central Government.
- (3) In case of allotment under rule 7, the agreement with the successful allottee shall contain, *inter alia*, the conditions contained in clause (i), (ii), (iv), (v), (vi) and (viii) of sub-rule (2) of rule 8.
- (4) The successful allocatee shall be required to provide a performance bank guarantee in favour of the Central Government for such amount and period as may be specified by the Central Government and such performance bank guarantee shall, *inter alia*, provide for the following, namely:—

- (i) it shall be unconditional and irrevocable;
- (ii) it shall be linked with the milestones for the development of the coal block as may be specified by the Central Government; and
- (iii) upon invocation of the performance bank guarantee, the payment should be made immediately without any demur, reservation, caveat, protest or recourse:

Provided that in case the allotment is made under sub-rule (10) of rule 6 to a Government company or corporation for utilisation of coal in the linked power project to be awarded on the basis of competitive bid for tariff (including Ultra Mega Power Project), the performance Bank Guarantee shall be provided by the operating special purpose vehicle on behalf of the successful allocatee after award of power project on the basis of competitive bidding in accordance with guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Power.

- (5) Upon entering of the agreement as specified in sub-rule (1) and (2) and providing performance bank guarantee as specified in sub-rule (3), the successful allocatee shall be entitled to receive an allocation order from the Central Government in respect of the coal block for which it was declared successful allocatee.

(6) Issuance of allocation order shall be conclusive evidence that all the requirements of section 11A of the Act and these rules have been complied with in respect of the selection of successful allocatee and the successful allocatee shall be entitled for grant of prospecting licence or mining lease in respect of the relevant coal block from the State Government in accordance with sub-section (3) of section 11A of the Act.

(7) The terms and conditions of the agreement as specified in sub-rule (1) and (2) or (3) of this rule shall be included in terms and conditions of the mining lease for the coal block alongwith any other terms and conditions that the Central Government or the State Government shall deem fit under the mineral concession rules and upon grant of the mining lease, the agreement as specified in sub-rule (1) and (2) or (3) of this rule shall stand terminated.

(8) The State Government concerned may, upon grant of mining lease, require the successful allocatee to provide a performance bank guarantee in its favour for ensuring the production of coal as per the mining plan:

Provided that in case the allotment is made under sub-rule (10) of rule 6 to a Government company or corporation for utilisation of coal in the linked power project to be awarded on the basis of competitive bid for tariff (including Ultra Mega Power Project), the performance bank guarantee shall be provided by the operating special purpose vehicle on behalf of the successful allocatee after award of power project on the basis of competitive bidding in accordance with guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Power.

(9) The performance bank guarantee submitted under sub-rule (4) shall be returned to the successful allocatee after submission of performance bank guarantee under sub-rule (8) or after 60 days of termination of the agreement as specified in sub-rule (1) and (2), whichever is earlier.

(10) The allocation order shall be cancelled by the Central Government, *inter alia*, in the following circumstances, namely:—

- (a) in case of breach of terms of the agreement entered under the provisions of sub-rule (1) and (2);
- (b) misrepresentation of facts by the successful allocatee;
- (c) violation of the provisions of the Act and rules framed under the Act;
- (d) in the event of cancellation of mining lease;
- (e) on recommendation of the State Government concerned in the event of breach of terms and conditions of mining lease; or
- (f) in the opinion of the Central Government, for the reasons to be recorded in writing, it is expedient in public interest to terminate the allocation.

9. Re-auction and re-allotment.— (1) On cancellation of auction process or allotment process pursuant to rule 5, rule 6 or rule 7, as the case may be, on account of any reason whatsoever, the Central Government shall have the power to initiate fresh process of auction or allotment of the coal block, or re-initiate entire allocation process as specified in rule 3.

CHAPTER III: MISCELLANEOUS

10. Arrangements for optimal utilisation of coal blocks.— (1) In case the coal block is allocated for the purpose of own consumption, the successful allocatee or coal linkage holder shall, with the prior approval of the Central Government, be entitled to enter into certain agreements or arrangements with other successful allocatee or coal linkage holder, as the case may be, for optimum utilisation of coal block for the same purpose in the public interest and to achieve cost efficiencies.

(2) A successful allocatee or a coal linkage holder proposing to enter into any agreements or arrangements referred to in sub-rule (1) shall make an application to the Central Government in writing.

(3) The application referred to in sub-rule (2) shall include the complete particulars of the following, namely:—

- (a) parties to the proposed agreements or arrangements;
- (b) the proposed agreements or arrangements;
- (c) the manner in which such agreements or arrangements would achieve optimal utilisation of coal blocks and cost efficiencies; and
- (d) details of coal linkages of the parties, if any.

(4) Before applying, parties shall ensure that all parties to the arrangement or agreement are otherwise eligible for the allocation of the coal block or grant of coal linkage, as the case may be, which are subject matter of such agreement or arrangement.

(5) The Central Government may seek such further information regarding the proposed agreement or arrangements as it may deem fit.

(6) The Central Government may after such investigation as may, in its opinion be necessary, by an order in writing, grant its approval or reject the proposed agreement or arrangements, in whole or in part.

(7) The Central Government while granting its approval may impose any condition which shall be binding on the parties to such agreement or arrangement.

(8) Upon execution of such agreement or arrangement, the party carrying out the mining operations in the coal block or receiving coal under coal linkage shall bear the liabilities in relation to such coal block or coal linkage.

(9) Upon execution of such agreements or arrangements, a certified copy of the same shall be deposited with the Central Government or such other agency or department as may be specified by the Central Government, within fifteen business days of such execution.

(10) Nothing in this rule shall apply to the coal block allotted under sub-rule (10) of rule 6 for utilisation of coal in the linked power project awarded on the basis of competitive bid for tariff (including Ultra Mega Power Project) and to the coal block allotted under rule 7.

11. Utilisation of coal for any other plant of the successful allocatee.— In case the coal block is allocated for the purpose of own consumption, a successful allocatee may use the coal mined from a particular coal block for the same purpose in any of its plants or plant of its subsidiary or holding company, with a prior intimation to the Central Government in writing:

Provided that in case of allotment, a successful allottee may also utilise coal from the coal block allotted for the purpose of own consumption, in the plants of its joint venture company or corporation formed with other government companies or corporations where the successful allottee company has majority shareholding in the joint venture company or corporation.

(2) The intimation referred in sub-rule (1) shall be provided at least thirty business days prior to the intended date of such utilisation.

(3) The Central Government may seek further information regarding such utilisation as it may deem fit and may impose such terms and conditions as may be found necessary.

(4) Nothing in this rule shall apply to the coal block allotted under sub-rule (10) of rule 6 for utilisation of coal in the linked power project awarded on the basis of competitive bid for tariff (including Ultra Mega Power Project) and to the coal block allotted under rule 7.

12. Proceeds of auction or allotment.— (1) The proceeds of the auction or allotment, as the case may be, shall be deposited by the successful allocatee to the State Government concerned where the coal block is located in the manner as may be specified by the State Government with intimation to the Central Government.

(2) The constituents of proceeds of auction or allotment shall be specified by the Central Government.

Explanation.—For the purposes of this rule, it is hereby clarified that proceeds for auction or allotment excludes any royalty, levy, cess, tax, duties, or charges imposed by Central Government, State Government or local Government, as the case may be.

13. Affidavit to accompany each document.— If any person submits or produces any document to the Central Government or any authority under the Act or these rules, such document shall be accompanied by an affidavit regarding its genuineness and if it is discovered subsequently that such document is false or incorrect, he shall be liable for penal action under the law for the time being in force.

14. Central Government may seek assistance.— The Central Government may, for the purpose of discharging its functions under these rules, seek assistance of any departments, authorities, agencies, technical experts or government companies or corporations and may also constitute committees.

15. Protection of action taken in good faith.— No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Central Government, or State Government or any person acting on their behalf, in respect of anything which is done or intended to be done in good faith under these rule.

16. Rules not to apply on certain coal mines.— Nothing in these rules shall apply to coal mines listed in Schedule I of the Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015 (No. 11 of 2015).

17. Repeal and savings.— (1) The Auction by Competitive Bidding of Coal Mines Rules, 2012 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Auction by Competitive Bidding of Coal Mines Rules, 2012, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these rules and any process of allocation pending under the said Auction by Competitive Bidding of Coal Mines Rules, 2012 shall continue and after the final allocation of the coal block the remaining procedure and conditions under the corresponding provisions of these rules shall be applicable.

[F. No. 11022/01/2015-CA-III]

VIVEK BHARADWAJ, Jt. Secy.